101

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4259–दो/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–08–2013 – पारित द्वारा – तहसीलदार, तहसील चुरहट जिला सीधी – प्रकरण क्रमांक 4 अ–12/2012–13

1– इन्द्रभान 2– राजमणि पटैल
पृत्रगण रामावतार पटैल
3– रोहिणी 4– पन्नालाल पटेल
पुत्रगण इन्द्रभान पटैल
सभी ग्राम पड़खुरी तहसील चुरहट
जिला सीधी मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती दशोदिया पत्निल शिववालक साकेत
ग्राम पड़खुरी तहसील चुरहट जिला सीधी ———अनावेदकगणं

(आवेदक के अभिभाषक श्री लालजी पटैल)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रभात सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 09–03–2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, चुरहट जिला सीधी के प्रकरण कमांक 4 अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार चुरहट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसके स्वामित्व की ग्राम पड़खुरी 586

में स्थित भूमि सर्वे कमांक 2233/1/1, 2235/1/1, 2237/1/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 हैक्टर भूमि है जिसका वह सीमांकन कराना चाहती है इसलिये भूमि का सीमांकन किया जावे। तहसीलदार चुरहट ने प्रकरण कमांक 4 अ-12/12-13 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक चुरहट को सीमांकन के निर्देश जारी किये। राजस्व निरीक्षक ने स्थल पर जाकर सीमांकन कार्य उपरांत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अवेदक इन्द्रभान ने दिनांक 31-7-2012 को आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि माह जुलाई का समय है खेतों में पानी भरा है इसलिये सीमांकन बाधित होगा, अतएव सीमांकन न किया जावे। तहसीलदार ने आपत्ति मान्य की। तदुपरांत राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 13-10-12 प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार, चुरहट ने आदेश दिनांक 16-8-2013 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रशासकीय सदस्य व्दारा प्रकरण कमांक 2587-एक/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-9-12 से तत्कालीन तहसीलदार के वादित भूमियों के संबंध में जारी आदेश दिनांक 25-5-2012 को निरस्त कर दिया है जिसके कारण भूमियां विवादित है और जब विवादित भूमि का नक्शा तरमीम नहीं है तब ऐसी भूमि का सीमांकन भी नहीं किया जा सकता हैं

आवेदकगण की ओर से राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रशासकीय सदस्य व्दारा प्रकरण कमांक 2587-एक/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-9-12 के अवलोकन पर पाया गया कि यह आदेश तहसील न्यायालय संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दिये गये नक्शा सॅशोधन आदेश के निरस्तीकरण वावत् है जिसमें यह उल्लेख नहीं है कि वाद विचारित भूमियों के सम्बन्ध में ही यह आदेश पारित हुआ है। जहां तक विचाराधीन प्रकरण में

दशाई गई भूमियों के सीमांकन का प्रश्न है ? सीमांकन कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत की जाती है जिसकी अधिकारिता तहसीलदार को एंव अधिकृत राजस्व निरीक्षक को भी है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं् की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक क़ी भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 16-8-13 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर